

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर



खंड XXI

अंक 10

जनवरी 2026



विषय-वस्तु

खंड

पृष्ठ

I. विनियमन

1-3

II. भुगतान विनियामक बोर्ड
की बैठक

2

III. समझौता ज्ञापन

3

IV. सरकार का बैंक

3

V. सर्वेक्षण

3-4

VI. आरबीआई का

4

आधिकारिक पॉडकास्ट

VII. प्रकाशन

4

VIII. जारी आंकड़े

4

संपादक की कलम से

एमसीआईआर के इस संस्कारण में, गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के एनबीएफसी और यूसीबी के साथ अभिशासन और समावेशी ऋण वितरण को सुदृढ़ करने के लिए की गई कार्यनीतिक बैठक, प्रगामी भुगतान विज्ञान 2028, केंद्रीय प्रतिपक्षकारों से संबंधित सूचना के सहयोग और विनियम पर आरबीआई और ईएसएमए के बीच समझौता ज्ञापन, आरबीआई टाक्स: पैसा टु पॉलिसे पॉडकास्ट शृंखला का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य जटिल वित्तीय विषयों को सरल बनाना और वित्तीय ज्ञान को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है, शामिल है। इन प्रयासों में अभिशासन और समावेशी ऋण संवितरण, डिजिटल भुगतान विस्तार, सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने आदि को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रित प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. विनियमन

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा एनबीएफसी, एचएफसी के प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग-क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2026 को मुंबई में विनियमित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की निरंतर बातचीत के एक भाग के रूप में, चुनिंदा एनबीएफसी, जिसमें सरकारी एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल थे, के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा उद्योग-क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। सहभागी संस्थाएं समग्र रूप से एनबीएफसी क्षेत्र की लगभग 53 प्रतिशत आस्तियों को संभालती हैं, जिसमें उद्योग-क्षेत्र से स्व-विनियामकीय संस्थाएं, जैसे सा-धन, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क और वित्त उद्योग विकास परिषद की सहभागिता है। उप गवर्नरों और वरिष्ठ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ में भी भाग लिया। अपनी टिप्पणी में, गवर्नर ने ऋण प्रवाह में एनबीएफसी और एचएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, जिसमें मजबूत हामीदारी, आस्ति गुणवत्ता निगरानी, ग्राहक-केंद्रितता, नैतिक आचरण, जिम्मेदार ऋण और त्वरित शिकायत निवारण पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले नीति और परिचालनगत मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं प्रदान की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने चुनिंदा यूसीबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, मुंबई में 19 जनवरी 2026 को विनियमित संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरंतर बातचीत के भाग के रूप में, 19 मार्च 2025 को हुई पिछली बैठक के बाद, चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिनमें राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी संघ लिमिटेड शामिल हैं। इस बैठक में रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे और श्री एस सी मुर्मू भी उपस्थित रहें। अपने वक्तव्य में, गवर्नर ने ऋण संवितरण, विशेष रूप से अल्प सेवा-प्राप्त क्षेत्रों के लिए, और वित्तीय समावेशन के विस्तार में शहरी सहकारी बैंकों की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। गवर्नर ने पिछली बैठक के बाद से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत प्रयासों को भी संक्षेप में बताया, और विश्वास व्यक्त किया कि ये सक्षमकर्ता (इनेबलर्स) इस क्षेत्र को मजबूत बनाने और बेहतर ढंग से विकसित करने में मदद करेंगे। उन्होंने अभिशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने, सुदृढ़ हामीदारी पद्धतियों और आस्ति गुणवत्ता पर सावधानीपूर्वक निगरानी के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा, उन्होंने इस क्षेत्र में ग्राहक के विश्वास बनाए रखने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, नैतिक पद्धतियों का पालन करने और समय पर शिकायत का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

प्राधिकृत व्यापारी के लिए स्व-विनियामक संगठन के रूप में एफ़ईडीआई को मान्यता प्रदान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता के लिए बहुप्रयोजन ढांचा के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के अनुसार 14 जनवरी 2026 को सभी प्राधिकृत व्यापारियों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ़ईडीआई) की मान्यता की घोषणा की। आवेदन की जांच करने के बाद और यह विचार करने के बाद कि एफ़ईडीआई अपने सदस्यों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाले नियमों के माध्यम से एसआरओ के समान कार्य कर रहा है, रिज़र्व बैंक ने ऐसी मान्यता देने का निर्णय लिया। एफ़ईडीआई को अपनी कार्यप्रणाली और अभिशासन रूपरेखा को बहुप्रयोजन एसआरओ ढांचे के अनुरूप लाने और प्राधिकृत व्यापारियों की सभी श्रेणियों के लिए अपनी सदस्यता प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवसरचना संबंधी परियोजनाओं में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार के ढांचे पर संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निदेश, 2026 और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ -

II. भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक

भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक 5 जनवरी 2026 को मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के परिणामस्वरूप पीआरबी का गठन किया गया था, जो 9 मई 2025 को प्रभावी हुआ। बोर्ड ने भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के कार्य और वर्तमान केंद्रित क्षेत्रों, जिसमें घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणाली दोनों शामिल हैं, की समीक्षा की। भुगतान विज्ञान 2028 का मसौदा प्रस्तुत किया गया और सदस्यों ने भारत के भुगतान पारितंत्र के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतिक मार्गदर्शन दिया।

बैठक के दौरान हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए डिजिटल भुगतानों पर सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति भी की गई। पीआरबी के सदस्य यथा, श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री नागराजू महिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री टी. रवी शंकर, उप गवर्नर और श्री विवेक दीप, कार्यपालक निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया। चर्चा के दौरान भारत की भुगतान प्रणालियों में दक्षता, सुरक्षा और नवोन्मेष को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026 को जारी किया। ये 24 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए एनबीएफसी - स्केल आधारित विनियमन संशोधन निदेश, 2025 का मसौदा के अनुसार जारी किए गए हैं, जिसमें हितधारकों के प्रतिक्रियाएँ शामिल की हैं ताकि वर्तमान में चल रहे अवसरचना संबंधी परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक जोखिम के साथ जोखिम भार को संरेखित किया जा सके, जिससे एनबीएफसी क्षेत्र में जोखिम मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को बढ़ाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आंतरिक ओम्बुड्समैन) निदेश, 2026 जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बुड्समैन) निदेश, 2025 का मसौदा और हितधारकों तथा जन सामान्य से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच के बाद 14 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आंतरिक ओम्बुड्समैन) निदेश, 2026 जारी किए। अंतिम मास्टर निदेशों में आवश्यक संशोधन शामिल किए गए हैं और प्राप्त प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई पर एक विवरण भी प्रदान किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के लिए सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन (एसएमबीसी), जापान को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 14 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी बैंकों द्वारा पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं की स्थापना) दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन (एसएमबीसी), जापान को भारत में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। एसएमबीसी वर्तमान में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में शाखा मोड में बैंकिंग कारोबार कर रहा है तथा बैंक को भारत में अपनी मौजूदा शाखाओं के रूपांतरण के माध्यम से डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत एसएमबीसी को डब्ल्यूओएस मोड में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगा, बशर्ते कि बैंक ने "सैद्धांतिक" मंजूरी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंसीकरण संबंधी चर्चा पत्र पर जन-सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की

जैसा कि 1 अक्टूबर 2025 के [गवर्नर के वक्तव्य](#) में बताया गया था, रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2026 को [शहरी सहकारी बैंकों](#)

(यूसीबी) के लाइसेंसीकरण संबंधी चर्चा पत्र के प्रकाशन की घोषणा की तथा 13 फरवरी 2026 तक जन सामान्य और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की। टिप्पणियां रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं अथवा वैकल्पिक रूप से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विनियमन विभाग, पंजीकरण और लाइसेंसिंग विभाग (सहकारी बैंक), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई अथवा "यूसीबी के लाइसेंसीकरण संबंधी चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ईमेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

आरबीआई ने नेट ओपन पोजिशन - संशोधित अनुदेश संबंधी संशोधन निदेशों के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 2026 को जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर निदेश के अंतर्गत विदेशी मुद्रा जोखिम पर नेट ओपन पोजिशन और पूंजी प्रभार की गणना संबंधी अनुदेशों तथा विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड को संशोधित करने के लिए नेट ओपन पोजिशन संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किए। इस संशोधन निदेशों के मसौदे में वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं और एकल प्राथमिक व्यापारी शामिल हैं। संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से 3 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से मुख्य महाप्रबंधक, बाजार जोखिम समूह, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई - 400 001 या पर ईमेल द्वारा 'नेट ओपन पोजीशन - संशोधित अनुदेश पर प्रतिक्रिया' विषय पंक्ति के साथ प्रेषित किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

आरबीआई ने रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना, 2026 जारी की

रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2025 को रिज़र्व बैंक - ओम्बुड्समैन योजना, 2025 का मसौदा जारी करने के बाद और हितधारकों तथा जन सामान्य से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद 16 जनवरी 2026 को संशोधित ओम्बुड्समैन ढांचा जारी किया। योजना को अंतिम रूप देते समय आवश्यक संशोधन उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं और प्राप्त प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई के बारे में विवरण अनुबंध में दिए गए हैं। संशोधित योजना, जिसे रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2026 कहा जाएगा, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, से रिज़र्व बैंक ओम्बुड्समैन ढांचे के सुदृढ़ होने और शिकायतों के समाधान में और दक्षता लाने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

III. भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपियन सिक्क्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों से संबंधित सहयोग और जानकारी के आदान-प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपियन सिक्क्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी ने 27 जनवरी 2026 को आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित केंद्रीय प्रतिपक्षकारों से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो 28 फरवरी 2017 के पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन का को प्रतिस्थापित करता है। यह समझौता ज्ञापन आरबीआई और ईएसएमए को सीसीपी के संबंध में, उनके संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप, सहयोग करने हेतु सक्षम बनाता है। यह समझौता ज्ञापन, यूरोपीय संघ की वित्तीय स्थिरता का संरक्षण करते हुए, आरबीआई के विनियामकीय और पर्यवेक्षी गतिविधियों के आधार पर कार्य करने के लिए ईएसएमए के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने हेतु सीमा-पार सहयोग के महत्व को भी दर्शाता है। इस समझौते पर आरबीआई के कार्यपालक निदेशक विवेक दीप और ईएसएमए की अध्यक्ष बेरेना रॉस ने हस्ताक्षर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार- लक्ष्य और वर्गीकरण पर संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य एवं वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 जारी किए, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2025 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ये संशोधन अलग से अधिसूचित कुछ विनियामक परिवर्तनों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किए गए हैं ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार ढांचे के आगे उधार देने के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एक योग्य संस्था के रूप में शामिल किया जा सके, कुछ मौजूदा अनुदेशों के संदर्भों को अद्यतन किया जा सके और कुछ मौजूदा प्रावधानों पर स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके। संशोधित निदेश उनमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2026 को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए तर्कसंगत राहत उपायों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगते हुए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए, जो 08 जून 2023 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के बीच विवेकपूर्ण मानदंडों को समान बनाना है। बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू होने वाले इन मसौदा दिशानिर्देशों में विनियमित संस्थाओं को विवेकाधिकार प्रदान करने वाला सिद्धांत-आधारित समाधान ढांचा, एसएमए-0 श्रेणी में मानक एक्सपोजर के लिए पात्रता, समाधान योजनाओं के उपयोग और कार्यान्वयन के लिए समर्पित समय- सीमा, पुनर्गठित एक्सपोजर के लिए निरंतर मानक परिसंपत्ति वर्गीकरण और कम प्रावधानीकरण, तथा प्रभावित क्षेत्रों में बैकल्पिक बैंकिंग सेवा व्यवस्था शामिल हैं। ये दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, और सार्वजनिक टिप्पणियां 17 फरवरी 2026 तक आमंत्रित की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंकर

राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2026 को किए गए करार के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के सामान्य बैंकिंग कारोबार को स्वीकार करने के बाद 9 जनवरी 2026 को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा में संशोधन की घोषणा की। विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए गए वित्तीय निभाव की

सीमाओं की अंतिम समीक्षा 28 जून 2024 को की गई थी। 9 जनवरी 2026 से प्रभावी जीएनसीटीडी के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹890 करोड़ निर्धारित होने के साथ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल डब्ल्यूएमए सीमा मौजूदा ₹60,118 करोड़ से संशोधित होकर ₹61,008 करोड़ हो गई है। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

V. सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया: अक्टूबर- दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2026 को अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 72 वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण अक्टूबर-दिसंबर 2025 (2025-26 की तीसरी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) वर्ष 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित कर रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की जाने वाली सूचना में संबंधित तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में तैयार माल(एफ़जी), प्रक्रियाधीन(डबल्यूआईपी) और कच्चा माल (आरएम) की सूची के व्यौरों के साथ कुल मालसूचियां, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के लिहाज से मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े और तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारण शामिल हैं। इन प्रतिक्रियाओं से क्षमता उपयोग (सीयू) के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। यह सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण में रिज़र्व बैंक को उल्लेखनीय इनपुट उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 113वें दौर की शुरुआत: 2025-26 की चौथी तिमाही

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 2026 को जनवरी-मार्च 2026 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 113वें दौर की शुरुआत की। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2025-26 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2026-27 की पहली तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2026-27 की दूसरी तिमाही और 2026-27 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

VI. भारतीय रिज़र्व बैंक का आधिकारिक पॉडकास्ट - आरबीआई टॉक्स: पैसा टू पॉलिसी

दिनांक 6 दिसंबर 2024 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुक्रम में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक पॉडकास्ट शृंखला, आरबीआई टॉक्स: पैसा टू पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका उपयोग व्यापक जन संपर्क के लिए किया जाएगा। इस पॉडकास्ट शृंखला का उद्देश्य जटिल वित्तीय विषयों को सरल बनाना तथा वित्तीय ज्ञान को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है। इस पॉडकास्ट शृंखला का पहला एपिसोड "केवाईसी को समझना" [यहां](#) से प्राप्त किया जा सकता है।

त्रैमासिक सेवाएं आधारभूत संरचना परिदृश्य सऔरवेक्षण (एसआईओएस) के 48वें दौर की शुरुआत – 2025-26 की चौथी तिमाही

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 2026 को जनवरी-मार्च 2026 की संदर्भ अवधि के लिए त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 48वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाएं और आधारभूत संरचना क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2025-26 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2026-27 की पहली तिमाही) के लिए उनकी प्रत्याशा का आकलन करता है। इस सर्वेक्षण में बाद की दो तिमाहियों (2026-27 की दूसरी तिमाही और 2026-27 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन- जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2026 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में तीन भाषण, दो आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

उक्त तीन भाषण हैं :

I. [विनियमन और पर्यवेक्षण-डिजिटल युग के साथ सामंजस्य स्थापित करना – श्री संजय मल्होत्रा](#)

II. [डिजिटल युग में बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ – श्री स्वामीनाथन जे](#)

III. [डिजिटल युग में विनियमन - समस्याएं, अवसर एवं चुनौतियाँ – श्री शिरीष चंद्र मुर्मू](#)

उक्त दो आलेख हैं :

I. **अर्थव्यवस्था की स्थिति:** अत्यधिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2025 में वैश्विक संवृद्धि आघात-सह बनी रही। हालांकि उच्च वैश्विक अनिश्चितता में दिसंबर के दौरान और नरमी देखी गई। वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी की संवृद्धि के पहले अग्रिम अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता परिलक्षित हुई, जोकि एक चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरण के बीच घरेलू कारकों द्वारा संचालित है। दिसंबर के उच्च आवृत्ति संकेतक, उच्च मांग की स्थिति को बनाए रखते हुए संवृद्धि के आवेगों में लगातार उछाल का सुझाव देते हैं। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़ गई लेकिन वह निम्न सहन-सीमा स्तर से नीचे बनी रही। वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह पिछले वर्ष में बढ़ गया है, जिसमें गैर-बैंक और बैंक दोनों स्रोत ऋण वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

II. **भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2023-24:** यह आलेख वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संस्थागत क्षेत्रों में वित्तीय स्टॉक और प्रवाह (एफएसएफ) में अंतर्निहित प्रवृत्तियों को किससे-किसको (फंडव्यूटीडव्यू) आधार पर प्रस्तुत करता है। वित्तीय प्रवाहों का विश्लेषण समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए निधियों के स्रोतों और उपयोगों को ट्रैक करके विभिन्न क्षेत्रों में अंतर-सहबद्धता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

मुख्य बातें:

• घरेलू क्षेत्रों की वित्तीय आस्तियों ने वर्ष 2022-23 में 9.9

प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्तीय देयताओं में पिछले वर्ष के 10.4 प्रतिशत की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

• घरेलू अर्थव्यवस्था का वित्तीय संसाधन शेष वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत घाटे के कम होने का संकेत देता है।

• परिवार और वित्तीय निगम अधिशेष क्षेत्र के रूप में बने रहे, जो सामान्य सरकार और गैर-वित्तीय निगमों की कमी के लिए वित्तपोषण करते हैं।

• घरेलू क्षेत्रों की निवल वित्तीय आस्ति वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 28.6 प्रतिशत हो गया, जिसमें परिवारों, सामान्य सरकार और गैर-वित्तीय निगमों के वित्तीय तुलन-पत्रों में वैविध्यपूर्ण समृद्धि का संकेत देते हैं।

• वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) की वित्तीय आस्तियों और देयताओं में 2023-24 में वृद्धि हुई जो बाह्य स्तर पर बढ़ी हुई खुलेपन का संकेत देती है।

• मार्च 2024 के अंत में कुल वित्तीय आस्तियों और देयताओं के लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी मुद्रा और जमाराशियां, ऋण और अग्रिम और ऋण प्रतिभूतियों की रही। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

राज्य वित्त: वर्ष 2025-26 के बजट का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2026 को 'राज्य वित्त: 2025-26 के बजट का अध्ययन' रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय 'भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन - राज्य वित्त पर प्रभाव' है। यह क्रमशः 2023-24 और 2024-25 के लिए वास्तविक और संशोधित/अंतिम लेखा की पृष्ठभूमि में 2025-26 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

जनवरी 2026 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण डेटा निम्नानुसार है :

क्र.सं	शीर्षक
1	15 जनवरी 2026 को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	दिसंबर 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जनवरी 2026
4	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – दिसंबर 2025
5	दिसंबर 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े